इलेक्शन टुडे

==

दिनांक - 08 अक्टूबर 2018 अंक – 03

==

चुनाव घोषणा पत्र 3 दिन में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को देना होगा

स्टार प्रचारकों की अनुमति के लिये आवेदन प्रस्तुत करना होगा

भोपाल : सोमवार, 08 अक्टूबर, 2018। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल.कान्ता राव ने कहा है कि सभी राजनैतिक दलों को उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुसार चुनाव घोषणा पत्र की 3 प्रतियाँ, घोषणा पत्र जारी करने के 3 दिनों के अंदर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को देना होगी। स्टार प्रचारकों की अनुमति के लिये राजनैतिक दलों को अधिसूचना जारी होने के 7 दिन के अंदर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों एवं राज्य दलों के लिये स्टार प्रचारकों की संख्या 40 निर्धारित है। अन्य दलों के लिये स्टार प्रचारकों की संख्या 20 निर्धारित की गई है।

विधानसभा निर्वाचन में निर्वाचन व्यय पर निगरानी के लिये प्रदेश में 848 एफ.एस.टी. और 840 एस.एस.टी. का गठन किया गया है। अंतर्राज्यीय सीमाओं पर 452 चेक पोस्ट बनाये गये हैं। एस.एस.टी का कार्य चेक पोस्ट में सड़क मार्ग से आने वाले वाहनों की चैकिंग करना है। एफ.एस.टी फ्लाइंग स्कॉट है, जो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में कार्य करेगा और अवैध गतिविधियों की सूचना मिलने अथवा संज्ञान में

आने पर कार्यवाही करेगा। वीडियो सर्विलेंस टीम व्हीएसटी निर्धारित क्षेत्रों में होने वाली सभा और रैलियों की रिकार्डिंग करेगी।

श्री राव ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता लगने के बाद कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिये 59 अवैध हथियार जब्त किये गये हैं और 33 हजार शस्त्र जमा कराये गये हैं। 1039 गैर जमानती वारंट तामील कराये गये हैं और 1600 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। सम्पत्ति विरूपण के अंतर्गत1 लाख 23 हजार 165 प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई है। वाहनों के दुरूपयोग पर 233 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। दमोह में फोटो लगे हुये 600 बैग फ्लांइग स्कॉट द्वारा जाँच के दौरान जब्त कर प्रकरण दर्ज किया गया है।

===

निगरानी तन्त्र निर्वाचन व्यय की प्रभावी कार्यवाही करे:- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

निर्वाचन व्यय नियंत्रण के नोडल अधिकारियों की समीक्षा बैठक सम्पन्न

भोपाल : सोमवार, 08 अक्टूबर, 2018। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल.कान्ता राव ने निर्वाचन व्यय निगरानी तंत्र के नोडल अधिकारियों की बैठक में कहा कि आदर्श आचरण संहिता लागू होने के साथ ही निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिलों में निगरानी दल सक्रियता से कार्यवाही करें। संपत्ति विरूपण की कार्यवाही त्वरित गति से की जाये ।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देशित किया कि पुलिस एवं परिवहन विभाग सख्ती से वाहनों की जाँच करें। रेल्वे स्टेशनों पर अवैध राशि, मदिरा, हथियार के परिवहन की रोकथाम के लिये जाँच की जाये। केन्द्र एवं राज्य की नारकोटिक्स विंग मादक पदार्थों की सघन जाँच करे। सभी जाँच एजेंसियाँ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, जब्ती की कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग भी करवायें।

श्री राव ने आयकर विभाग को निर्देशित किया कि संदेहास्पद लेन-देन के स्त्रोतों की जाँच करें और एयरपोर्ट, एयर स्ट्रिप एवं हेलीपैड पर अपनी टीम तैनात करें।

बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री लोकेश जाटव, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजेश कौल, सहित 15 विभागों के नोडल अधिकारी उपस्थित थे।